**TOP PRIORITY/OUT TODAY**
**DELHI VIDHAN SABHA QUESTIONS**

Government of NCT of Delhi
Finance Department
4th Level, 'A' Wing, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No.5(192)/Fin/AD/2024-25/DVS Question/DS-IV/ 294 Dated: 26-3-2025

To,

The Deputy Secretary
(Question Cell),
Delhi Vidhan Sabha Sachivalaya,
Government of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-54

Sub:- **Delhi Vidhan Sabha Un-Starred Question No.:-118,**
**Dated:- 26.03.2025, Question asked by:- Ms. Atishi**

Sir,

I am directed to forward herewith 100 copies of reply of Finance Department (provided by Budget Branch) of Finance Department w.r.t. the Un-Starred Question No. 118 listed for 26.03.2025 which is duly approved by Hon'ble Chief Minister/Finance Minister, Delhi.

Yours faithfully,

Encl: As above.

Deputy Secretary
Finance Department

दिल्ली विधानसभा प्रश्न

वित्त विभाग दिल्ली सरकार
चौथा लेवल, 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.5(192)/वित्/2024-25/डीवीएस प्रश्न/डीएस-IV/279 दिनांक: 25/मार्च-2025

अतारांकित प्रश्न संख्या:-118
दिनांक:-26.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम:- सुश्री आतिशी

क्या मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | विगत 20 वर्षों (2004 से 2025 तक) के दिल्ली राज्य के कर राजस्व की जानकारी दें ; | सलग्नक'1' |
| ख) | विगत दस वर्षों में संग्रहित सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी व सेस (Cess) का विवरण अलग–अलग प्रदान करें ; | |
| ग) | विगत दस वर्षों में संग्रहित स्टैंप ड्यूटी से अवगत कराएँ ; और | |
| घ) | दिनांक 20.02.2025 के बाद से सरकार ने 'कर–संग्रह' राशि में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए हैं? | |

यह उत्तर माननीय वित्त मंत्री दिल्ली द्वारा अनुमोदित है।

उप सचिव
वित्त विभाग

118 (क) विगत 20 वर्षों (2004 से 2025 तक) के दिल्ली राज्य के कर राजस्व की जानकारी दें;

उत्तर :

| Year | Revenue Receipts (in crore) |
|---|---|
| 2004-05 | 8562.63 |
| 2005-06 | 10843.53 |
| 2006-07 | 12193.62 |
| 2007-08 | 14912.38 |
| 2008-09 | 16352.21 |
| 2009-10 | 20451.34 |
| 2010-11 | 25024.10 |
| 2011-12 | 22393.17 |
| 2012-13 | 25560.97 |
| 2013-14 | 27980.69 |
| 2014-15 | 29584.59 |
| 2015-16 | 34998.85 |
| 2016-17 | 34345.74 |
| 2017-18 | 38667.27 |
| 2018-19 | 43112.61 |
| 2019-20 | 47135.82 |
| 2020-21 | 41863.60 |
| 2021-22 | 49312.98 |
| 2022-23 | 62702.84 |
| 2023-24 | 56797.79 |

| |
|---|
| **118 (ख) : विगत दस वर्षों में संग्रहित सीजीएसटी, का विवरण अप्रदान करें;** |
| **उत्तर: सूचना (Annexure 'B') संलग्न है ।** |

ANNEXURE -'B'

| Gross Collection (With Compensation) for the last 10 years | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Rs. In Crore |
| S. No. | Financial Year | DVAT | SGST | Compensation (in SGST) | CST | Compensation (in CST) | IGST | Ent, Lux,tax etc w.e.f. | Total |
| 1 | 2015-16 | 18418.35 | NA | 0 | 2081.19 | 2572.97 | NA | NA | 23072.51 |
| 2 | 2016-17 | 19718.33 | NA | 0 | 2253.09 | 690.53 | NA | NA | 22661.95 |
| 3 | 2017-18 | 11135.18 | 7964.65 | 157.00 | 1111.98 | 690.53 | 5659.95 | 69.87 | 26789.16 |
| 4 | 2018-19 | 6157.10 | 10838.77 | 4182.00 | 182.10 | 0.00 | 8608.28 | 31.39 | 29999.64 |
| 5 | 2019-20 | 5796.39 | 11988.70 | 7436.00 | 149.83 | 0.00 | 7896.78 | 14.19 | 33281.89 |
| 6 | 2020-21 | 4445.11 | 8898.36 | 11386.66 | 135.49 | 0.00 | 7672.61 | 4.81 | 32543.04 |
| 7 | 2021-22 | 5079.11 | 11328.54 | 12638.62 | 169.97 | 0.00 | 11998.58 | 0.51 | 41215.33 |
| 8 | 2022-23 | 5772.22 | 13618.48 | 12817.02 | 144.19 | 0.00 | 14665.05 | 1.54 | 47018.50 |
| 9 | 2023-24 | 6639.23 | 15813.75 | 1137.80 | 131.04 | 0.00 | 16518.19 | 0.33 | 40240.34 |
| 10 | 2024-25 (Tentative till Jan. 2025) | 5980.14 | 14766.15 | 363 | 81.52 | 0 | 15288.03 | 1.09 | 36479.93 |

Note : CESS was transferred in the form of compensation to the state.

Source : 1. Goods & Service Tax (GST) came into effect from 01-07-2017.

2. Statistical handbook 2021-22

3. PAO, GNCTD

| 118 (ग) विगत दस वर्षों में संग्रहित स्टैंप ड्यूटी से अवगत कराएँ | |
|---|---|
| उत्तर: | |
| **Year** | **Stamp & Registration Fes (including land revenue) (in crore)** |
| 2013-14 | 2969.08 |
| 2014-15 | 2841.67 |
| 2015-16 | 3434.11 |
| 2016-17 | 3145.94 |
| 2017-18 | 4118.58 |
| 2018-19 | 4458.73 |
| 2019-20 | 4609.01 |
| 2020-21 | 3552.98 |
| 2021-22 | 5212.09 |
| 2022-23 | 6022.91 |
| 2023-24 | 7152.29 |

| | |
|---|---|
| 118 (घ) | नांक 20.02.2025 के बाद से सरकार ने 'कर-संग्रह' राशि में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए हैं? |
| | |
| उत्तर | **EXCISE DEPARTMENT** : विभाग ने 20.02.2025 के बाद उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ दो बैठकें बुलाई हैं, ताकि उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि की जा सके। |
| | **TRADE & TAXES DEPARTMENT :** राजस्व वृद्धि के उपायः<br>1. करदाता आधार में वृद्धि<br>क) रद्द या अपंजीकृत करदाताओं को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर काम करने वाली फर्मों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है।<br>ख) प्रमुख व्यापार और बाजार संघों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।<br><br>2. क्षेत्रीय अध्ययन<br>i ) क्षेत्रीय राजस्व अध्ययन<br><br>क) प्रमुख अपवादों की पहचान करना।<br>ख) अनुपालन की निगरानी करना।<br>ग) यदि आवश्यक हो तो प्रवर्तन कार्रवाई।<br><br>ii) क्षेत्रीय विश्लेषण<br>क) कर चोरी की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए समग्र क्षेत्रीय अध्ययन।<br>ख) कर चोरी प्रथाओं का अध्ययन।<br><br>3. आईजीएसटी रिवर्सल<br><br>क) ऐसे करदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिन्होंने जीएसटीआर-2ए में पड़े आईजीएसटी के अयोग्य आईटीसी को सही ढंग से रिवर्स नहीं किया है।<br>(ख) यह जीएसटीएन द्वारा आईजीएसटी हिस्से का उचित विभाजन सुनिश्चित करता है जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होती है।<br><br>4. गैर-वास्तविक करदाता (एनजीटीपी) मॉड्यूल<br>क) फर्जी/गैर-मौजूद करदाताओं की पहचान के लिए विभिन्न मापदंडों पर आधारित एक ऑनलाइन डेटा संचालित मॉड्यूल का विकास।<br>ख) फर्जी फर्मों की नियमित निगरानी और उन पर निलंबन, आईटीसी ब्लॉकिंग, बैंक कुर्की, मूल्यांकन आदि सहित कार्रवाई।<br><br>5. रिफंड जांच मॉड्यूल.<br><br>क) विभिन्न मापदंडों के आधार पर रिफंड दावों की जांच के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।<br>(ख) इससे उचित सत्यापन सुनिश्चित होगा और रिफंड के गलत दावों को समाप्त किया जा सकेगा। |
| | **TRANSPORT DEPARTMENT** : अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है । |